

www.mcdpropertytax.in

दक्षिणी दिल्ली नगर निगम SOUTH DELHI MUNICIPAL CORPORATION

स्वयं सम्पत्ति-कर निर्धारण फॉर्म

SELF ASSESSMENT PROPERTY TAX FORM

वित्त वर्ष 2020-21 F.Y. 2020-21

तथ्यों को छुपाने और गलत गणना के लिए दिल्ली नगर निगम (संशोधित) अधिनियम, 2003 में दण्ड का प्रावधान है।

स्वच्छ । भारत एक कटम स्वच्छान की और
क्षेत्र / Zone
वार्ड सं./Ward No
कॉलोनी का नाम/Colony Name

प्राप्ति/Receipt No. _

			isions in DMC ng Calculation						or प्रााप्त का तिाथ/Date of Rec					
1.	खाता पृष्ठ सं० Ledger Folio No.			(यदि Pleas	उपलब्ध se enter	ण की जाने वाली सम्पत्ति का खाता पृष्ट सं. भरें, यदि उपलब्ध है ' नहीं है, तो लागू नहीं लिखें) the Ledger Folio No. of the Property being Assessed, if available not available)								
2.	पंजीकरण सं०/यू र्प Registration No./UP		एकमात्र पहच जरूरी /} कृप Unique Identi Please fill you	<i>ाया अपनी</i> ification (<i>ो पंजीक</i> Code/Pro	रण सं. perty ID	·							
3.	सम्पत्ति का प्रकार* Type of Property*							कृपया अ Please re						
	यदि सम्पत्ति का प्रकार रिहायशी है—प्लॉटिड, तो कृपया एक विकल्प पर टिक करें कोठी / खाली प्लॉट निर्मित तल If Type of Property is Residential—Plotted, then please tick one option Kothi/Vacant Plot Builder Floor													
	यदि सम्पत्ति एक जनता फ्लैट है, तो कृपया खाने में निशान लगायें Please Tick in the box, if the property is a Janta Flat (केवल डी.डी.ए. आवास के लिए लागू। वर्गीकरण के विवरण के लिए अनुलग्नक 'वी' देंखे) (Applicable only for Residential DDA. Refer to Annexure-B for details on categorisation)													
4.	स्वामी का प्रकार* Type of Owner*						कृपया अनुलमक 'सी' को देखें। केवल एक विकल्प चुनें। Please refer to Annexure-C . Choose only one option.							
5.	सम्पत्ति मालिक/विव Property Owners/De		सम्पत्ति स्वामी / स्वामियों के नाम (यदि उसी सम्पत्ति के लिए दो स्वामी से ज्याद उसके लिए अनुलग्नक संलग्न करें।) Name of Property Owner/s (If more than 2 owners for the same property then p Annexure for the same)											
	•	प्रनाम) कम्पनी का नाम, ग्रदि* gurname)/Name of Company/ n etc.* Gender M/F					9ू द 1. वरिष्ठ 2. महिला साझे 3. शारीरि 4. भूतपूर्व Type 1. Senic 2. Owne the e. 3. Physi 4. Ex-se	आयु (আলু বিন্ন বর্দ 30 জুন কা) Age (as on 30th June of Current Financial Year)						
								1						

* यह एक जरूरी खण्ड/क्षेत्र है जिसे भरा जाना है तथा खाली छोड़ा नहीं जा सकता है। * This is a mandatory section/field which has to be filled and cannot be left blank.

6.	Property Identi सम्पत्ति पहचान	fication Details* विवरण*	कॉलोनी क उसकी श्रेप Enter the p the Help/T		कर निर्देशिका में कॉलम में अपनी ress for which th ease enter the Hi	नहीं हैं, तो अपन ने कॉलोनी का न e tax is being p ighest Neighbou	ने अति निकटत गम भरें। aid. If your Co	इ। याद आपका म कॉलोनी और lony Name is not in nd its Category. Enter	
		त्ति/मकान सं.* House Number* पता*							
(सह	<i>।यक / कर</i> निर्देशि	Address* लोनी का नाम* विका के संदर्भ में) Colony Name* Help/Tax Guide)							
		श्रेणी*		कॉलोनी व्र	न्म सं.*		पिन कोड		
Category*				Colony Se	rial No.*		Pin Code		
क्षेत्र का नाम*									
		Zone Name*							
7.	पत्राचार का पत Correspondence								
		गत्ति/मकान सं. House Number							
		पता Address							
							पिन कोड Pin Code		
	दूरभाष सं.*			मोबाइल सं.*					
	Phone No.*			Mobile No.*					
	ई—मेल* E-mail*					पैन सं.' PAN NO			
8.	8. प्लॉट/भूमि/कोठी/बंगला/ फार्महाउस का विवरण Plot/Land/Kothi/Bungalow/Farm House details								
क. 8A.	•	क्षेत्र <i>(वर्ग मी. में)</i> 1 d* <i>(in Sq. metres)</i> 1			~				
ख. 8B.	٠.	आ निर्मित क्षेत्र <i>(वग</i> icted area on the Gi	•	n Sq. metres)					
ग. 8C.		क्षेत्र का प्रतिशत (८ख a Built-Up/Construct							

नोट :— यदि 8ग 25% अथवा अधिक है और प्लॉट का शेष क्षेत्र किसी लाभ के लिए/व्यावसायिक गतिविधि के लिए प्रयोग नहीं किया जा रहा है, तो बिन्दु 9 पर जाएं अन्यथा 8घ से जारी। Note : — If 8C is 25% or more and the balance area of the plot is not being used for any profitable/commercial activity, then go to Point

9 otherwise continue to 8D.

* यह एक जरूरी खण्ड / क्षेत्र है जिसे भरा जाना है तथा खाली छोड़ा नहीं जा सकता है। * This is a mandatory section/field which has to be filled and cannot be left blank.

[2(SDMC)]

घ.	यूनिट एरिया मूल्य* <i>(अनुलग्नक 'घ' के संदर्भ में)</i>		₹.
8D.	Unit Area Value* (Refer to Annexure-D)		Rs.
_	ज्यानी भूगी प्रभूष प्रजन्म (भूगानाम 'गन' के गंतर्थ में)	घटक आई डी	
ड़.	खाली भूमि प्रयोग घटक* <i>(अनुलग्नक 'एच' के संदर्भ में)</i>	`	
8E.	Vacant Land Use Factor* (Refer to Annexure-H) (i)	Factor ID	
		प्रयोग घटक	
	(ii)	Use Factor	
펵.	कब्जा घटक <i>(अनुलग्नक 'आई' के संदर्भ में)</i>	प्रकार	
8F.	Occupancy Factor* (Refer to Annexure-I) (i)	Туре	
	स्वयं / Self — 1	घटक	
	किराय पर ∕ Rented — 2 (ii)	Factor	
छ.	वार्षिक मूल्य* (८४ – ८४) x ४५ (ii) x ८४ (ii) x ०.३		
8G.	Annual Value* (8A – 8B) x 8D x 8E (ii) x 8F (ii) x 0.3		
ज.	कर की दर प्रतिशत* <i>(अनुलग्नक 'ई' के संदर्भ में)</i>		
8H.	Rate of Tax %* (Refer to Annexure-E)		
झ.	छूट श्रेणी, यदि लागू हो <i>(अनुलग्नक 'एल' के संदर्भ में)</i>		
8I.			
01.	Exemption Category, if applicable (Refer to Annexure-L)		
ਤ.	खाली भूमि वार्षिक कर (8छ x 8ज x 8झ) 100 द्वारा भाग देने पर		₹.
8J.	Vacant Land Annual Tax (8G x 8H x 8I) divided by 100		Rs.

9. भवन विवरण और कर गणना Building Details and Tax Calculation

* सभी प्रकार की निर्मित सम्पत्तियों के लिए लागू। प्रत्येक तल का विवरण अलग लाइनों में भरें। यदि जरूरी हो अनुलग्नक लगायें।

Applicable for all type of built up properties. Enter each floor details in separate lines. Attach Annexure if required.

* गणना करने पर यदि कोई वैल्यू खाली है, तो 1(एक) के साथ बदलें।

					While Calculating if any value is BLANK, then replace with 1 (one).									
तल सं. Floor No.*	यूनिट एरिया मूल्य* रुपये/ वर्ग मी. अनुलग्नक 'डी' के	आच्छादित क्षेत्र* (वर्ग मी. में) 1 वर्ग गज = 0.8361 वर्ग मी. 1 वर्ग फुट =	Age Fa (Re Anne	नक 'एफ' दर्भ में) actor* efer exF)	ढांचा घटक* (अनुलग्नक 'जी' के संदर्भ में) Structure Factor* (Refer AnnexG)	प्रयोग घटक* Use Factor* (Refer AnnexH)		कब्जा घटक* (अनुलग्नक आई' के संदर्भ में) Occupancy Factor* (Refer AnnexI)		फ्लैट घटक (अनुलग्नक 'जे' के संदग् में) Flat Factor (Refer	f 9ਂਗ x 9ਂਸ x 9ਂਟ)	कर की दर प्रतिशत अनुलग्नक 'ई' के संदर्भ में) Rate of	में) यदि लागू	वार्षिक कर (9ठ x 9ड x 9ढ को 100 द्वारा भाग) Annual Tax
	संदर्भ में Unit Area Value* Rs./Sq. metres (Refer Annex D)	0.0929 वर्ग मी. Covered Area* (in Sq. metres) 1 Sq. yard = 0.8361 Sqm. 1 Sq.foot = 0.0929 Sq. metres	निर्माण का वर्ष Year of Const.	आयु घटक Age Factor	·	घटक आई डी Factor ID	आई डी घटक <u> </u>		घटक Factor किराये पर Rented 2	AnnexJ)	9H x 9J x 9K)	Tax % (Refer Annex E)	मूल्य 1 रखें	(9L x 9M x 9N Divided by 100)
9क 9A	9ख 9B	9ग 9C	9घ 9D	9ड 9E	9च 9F	9छ 9 G	9ज 9H	9झ 9l	9ञ 9J	9ट 9K	9उ 9L	9ड 9M	9ढ 9N	9ण 90
				-										

(तल सं. : तहखाना = −1, भूतल = 0, प्रथम तल = 1, द्वितीय तल = 2, तृतीय तल = 3 इत्यादि मियानी को तल के तौर पर मानते हुए) (Floor Number : Basement = −1, Ground Floor = 0, First Floor = 1, Second Floor = 2, Third Floor = 3 etc. Consider Mezzanine as a floor)

> * यह एक जरूरी खण्ड/क्षेत्र है जिसे भरा जाना है तथा खाली छोड़ा नहीं जा सकता है। * This is a mandatory section/field which has to be filled and cannot be left blank.

> > [3(SDMC)]

10.	कुल वार्षिक मूल्य* Total Annual Value'		1. कुल वार्षिक कर (8ञ तथ Total Annual Tax (Total o	,							
12.	छूट गणना	वरिष्ठ नागरिकों, महिलाओं और शारीरिक विकलांगों अथवा भूतपूर्व सैनिक जो स्व Rebate Calculation लिए स्वामित्व वाली 200 वर्ग मी. तक आच्छादित क्षेत्र Rebate applicable for Single property upto 200 Sq. metres covered Senior Citizen, Woman and Physically Challenged or Ex-servicemen Residential use.									
क.	यदि आच्छादित क्षेत्र	200 वर्ग मी. से कम	है : छूट राशि = वार्ग (यदि लागू है)	कि कर (9ण का कुल) x 0.3	₹.						
12A.		If CA is less than 200 Sq. metres : Rebate Amount = Annual Tax (Total of 90) x 0.3 (If Applicable) यदि आच्छादित क्षेत्र 200 वर्ग मी. से अधिक हैं : छूट राशि = वार्षिक कर (9ण का कुल) x									
	यदि आच्छादित क्षेत्र If CA is more than 2	₹. Rs.									
		•	200 x 0.3/Total C	Annual Tax (Total of 90) x overed Area							
13.	छूट का विवरण Exemption Details										
क. 13A.											
14.	सेवा शुल्क# Service Charges#	(अनुलग्नक 'एल' के	संदर्भ)	नियम के अध्याय—119 का संदर्भ) 119 DMC Act) or Public Charity P							
क.				और भारतीय रेल की सम्पत्तियां कृत नियमित कॉलोनी में स्थित है)	₹.						
14A.	Service Charge @ 7	% of Property Tax (I	_	g vacant land, Towers and	Rs.						
ख.	(खाली जमीन, टॉवर	ार होर्डिंग सहित) उप	(यदि एक संघीय सम्पत्ति र्युक्त के अलावा शहरीकृत हेत कॉलोनी में स्थित है)	और भारतीय रेल की सम्पत्तियां गाँवों,	₹.						
14B.	Service Charge @ 5 hoardingsof union ar	6 of Property Tax (I Indian Railway is si	-		Rs.						
ग.			्र (अध्याय—115(1)(iv) के उ		₹.						
14C.	Service Charge @ 7	% of Property Tax (F	Public charity properties as	per Section 115(1)(iv)	Rs.						
घ.	कुल कर/सेवा शुल्क (यहां से आगम 18 त		थवा १४ग + १६द + १८ज वरण)	(नीचे)]	₹.						

payment details)

#(सेवा शुल्कों पर छूट लागू नहीं है) #(No Rebate is admissible on Service Charges)

* यह एक जरूरी खण्ड/क्षेत्र है जिसे भरा जाना है तथा खाली छोड़ा नहीं जा सकता है। * This is a mandatory section/field which has to be filled and cannot be left blank.

Rs.

[4(SDMC)]

Total Tax/Service Charge (14A or 14B or 14C + 16R + 18H below) (from here Proceed to 18M for

15. एकमुश्त कर भुगतान One Time Tax Payment

एकमुश्त कर भुगतान योजना के तहत छूट प्राप्त सम्पत्तियां जिनके प्रयोग, ढांचा और स्वामित्व में सन् 1986 से परिवर्तन नहीं किया गया है, के लिए लागू

Applicable for Properties exempted under One Time Tax Payment Scheme whose use, structure and ownership have not been changed since 1986 (Refer Section 116H)

क.	कर योग्य मूल्य राशि जिसके आधार पर एकमुश्त कर भुगतान किया था	₹.
15A.	Rateable Value Amount on the basis of which the One Time Tax was Paid	Rs.
ख.	यूनिट एरिया प्रणाली में कर के उद्देश्य के लिए वार्षिक मूल्य (10 – 15क)	₹.
15B.	Annual Value for the Purpose of Tax in Unit Area System (10 – 15A)	Rs.
ग.	कर की दर % (अनुलग्नक 'ई' का संदर्भ)	₹.
15C.	Rate of Tax % (Refer to Annexure-E)	Rs.
घ. 15D.	वार्षिक कर {(15ख x 15ग) को 100 द्वारा भाग देने पर} Annual Tax {(15B x 15C) divided by 100}	₹. Rs.

16. बकाया कर / सेवा शुल्क और इस पर ब्याज Arrears of Tax/Service Charges and Interest thereon

यदि आपको किसी एरियर अथवा ब्याज का भुगतान करना है, तो लागू। ब्याज प्रत्येक तिमाही जिसमें कर देय था, की देय तिथि के बाद 1% प्रतिमाह अथवा माह के भाग की दर से वसूली योग्य है। ब्याज गणना के लिए सहायक / कर निर्देशिका को देखें।

Applicable if you have any arrears or interest to be paid. Interest is chargeable @1% per month or part of the month after the due date of each quarter in which the tax was due. Refer to Help/Tax Guide for interest computation

	वर्ष Year	राशि Amount	ब्याज Interest	जुर्माना (लगाया गया, यदि कोई हो) Penalty (Levied, if any)	कुल Total
क. 16 A .	2004 से पहले Before 2004				₹. Rs.
ख./16B.	2004-2005				₹. / Rs.
ग. / 16C.	2005-2006				₹. / Rs.
घ. / 16D.	2006-2007				₹. / Rs.
ड़./16E.	2007-2008				₹. / Rs
च. / 16F.	2008-2009				₹. / Rs.
छ.∕16G.	2009-2010				₹. / Rs.
ज. / 6H.	2010-2011				₹. / Rs
झ. / 16l.	2011-2012				₹. / Rs.
ञ. ∕ 16J.	2012-2013				₹. / Rs.
ਟ.∕16K.	2013-2014				₹. / Rs.
ਰ./16L.	2014-2015				₹. / Rs
ड. / 16M.	2015-2016				₹. / Rs.
ढ. ∕ 16N.	2016-2017				₹. / Rs
ण. / 160.	2017-2018				₹. / Rs.
त. ∕ 16P .	2018-2019				₹. / Rs.
द. 16R.	कुल योग Grand Total				रु. Rs.

* यह एक जरूरी खण्ड /क्षेत्र है जिसे भरा जाना है तथा खाली छोड़ा नहीं जा सकता है। * This is a mandatory section/field which has to be filled and cannot be left blank.

[5(SDMC)]

17.	2019—20 के लिए भुगतान विवरण Payment Details for 2019-20								
क. 17 A .	रसीद सं. Receipt No.	ख. 17B.				भुगतान की Amount P		₹. Rs.	
*18.	वर्ष 2020—21 के लिए भुगतान विव Payment Details for 2020-21	ख	सभी के लिए लागू Applicable for all						
क. 18A.	11 या 15घ पर कुल वार्षिक कर गण- Total Annual Tax Calculated at 11 or						♥. Rs.		
ख. 18B.	12क पर कुल छूट की राशि Rebate Amount (if applicable) Calculat	▼. Rs.							
ग. 18C.	कर राशि (18क—18ख) Tax Amount (18A – 18B)		▼. Rs.						
घ.	भुगतान की प्रकृति* (कृपया एक पर निशान लगायें)	भुगतान (क्र	(क्रम सं. 18ञ से लगातार)						
18D. ड़. 18E.	Nature of payment *(Please Tick one) चूट (यदि 30 जून, 2020 को अथवा प REBATES (Applicable if paying in Lur	हले एव	0 0	٠,	गी अन्य	था कोई छूट	ट नहीं है)	to Point 18 J)	
IOL.	(ए) 18ग का 15% एकमुश्त भुगतान (a) Lump sum Payment Rebate 15 %	pate is admit	▼. Rs.						
	(बी) [18ग—18क(ए) का 20%] केवल भुगतान पर अतिरिक्त छूट (b) Additional rebate on Lump sum only 20% of [18C – 18E(a)]					es	▼. Rs.		
	(सी) केवल दि.न.नि. के सहायता प्राप्त का 90%] अतिरिक्त छूट (c) Additional rebate on Lump sum p 90% of [18C – 18E(a)]			-	_ •	-	▼. Rs.		
	कुल घूट (ए + बी + सी) Total of Rebates (a + b + c)						▼. Rs.		
च. 18F.	वर्ष 2020—21 के लिए 1 प्रतिशत प्रति Interest 1% P.M. for 2020-21 (applica			, ,		लिए लागू)	▼. Rs.		
छ. 18G.	कर पुरियर (यदि लागू हो) 16द पर Tax Arrears (If payable) at 16R	▼. Rs.							
ज. 18H.	सम्पत्ति के वार्षिक मूल्य का 1 प्रतिशत Education Cess @ 1% of Annual valu	▼. Rs.							
झ. 18I.	कुल कर देय (18ग + 18च + 18 Net Tax Payable 18C + 18F + 18G +	▼. Rs.							
되. 18J.	कुल कर देयता यदि तिमाडी भुगतान (केवल प्रथम तिमाही के भुगतान प र Net Tax Payable if paying Quarterly 1st Quarters)])					▼. Rs.		
ਟ 18K	कुल कर देयता (शब्दों में)*						▼.		

* यह एक जरूरी खण्ड / क्षेत्र है जिसे भरा जाना है तथा खाली छोड़ा नहीं जा सकता है। * This is a mandatory section/field which has to be filled and cannot be left blank.

ठ.	ठ . यदि तिमाही भुगतान किया		प्रथम तिमाही		द्वितीय	तिमाही		तृत	नीय तिमाही			चतुर्थ तिमार्हा)
	गया है <i>(कृपया एव</i>	<i>ज</i> पर	30 जून, 2020 की		30 सितम्बर, 20.	20 की		31 दिसम्बर,	2020 की		31	मार्च, 2021 की)
	निशान लगायें)		समाप्ति पर		समा	प्ति पर		;	समाप्ति पर			समाप्ति पर	7
18L.	1		1st Quarter		2nd Q				3rd Quarter			4th Quarter	1 1
	(Please Tick One)		ending 30 June, 2020		ending 30 Sept.	, 2020		ending 31 L	Dec., 2020		ending	31 Mar., 2021	'-
ड.	ड. भुगतान का प्रकार*												
9.	(कृपया एक पर												
	(फूपया एक पर निशान लगायें)					चैक		- Da rr	गन्ड ड्राफ्ट				
18M.	Mode of Payment*		नकद Cash		C	heque			nand Draft				
i Oivi.	(Please Tick One)		Casii			neque		Don	iana bian				
б. *18N.	ढ. चैक/डिमान्ड झाफ्ट का विवरण (यदि आपने विकल्प 18 ड में चैक अथवा डिमान्ड ड्राफ्ट को चुना है तो लागू) कृपया चैक/डिमान्ड झाफ्ट को "आयुक्त, दक्षिणी दिन्निन." के पक्ष में क्रॉस करें । चैक/डिमान्ड झाफ्ट के पीछे मालिक का नाम, फोन नम्बर तथा सम्पत्ति का पूरा पता भी लिखें। Cheque/DD Details (Applicable if you have chosen Cheque or DD in option 18M) Please make crossed Cheque/DD in favour of 'Commissioner, South Delhi Municipal Corporation'. Also write Owner Name, Phone Number and Property Address on back of Cheque/DD.												
*->-	- (- 0 - 0	· 			 -				,\ * *				
	क / डीडी (i eque/DD (,	या nber		(ii) तिथि (ii) Date				· ,	ന ന nk Na	ा नाम		
Onc	,quorbb (i) itai	inser		(ii) Date				(III) Bai		21110		
(iv) *	शाखा का नाम					(v) *र	खात	ा संख्या					
(iv) E	Branch Name					(v) Ac	cou	int Number					
*DECI अतिरि Altera करने	हैं घोषणा एवं सत्यापन : DECLARATION & VERIFICATION : प्रमाणित किया जाता है कि वर्ष में वर्ग मी० क्षेत्र वार्षिक सम्पत्ति कर विवरणी के अनुसार अतिरिक्त / परिवर्तन / नवीनीकरण पूरा किया गया है Certified that sq. mtr. area as per the Annual Property Tax Return has been carried out as Addition/ Alteration/Renovation in the year . मैं सत्यापित करता हूँ कि इस फॉर्म में भरे गये विवरण मेरी जानकारी के अनुसार सत्य और सही हैं तथा मैं इस फॉर्म पर हस्ताक्षर करने के लिए अधिकृत हूँ मैं दिल्ली नगर निगम अधिनियम, 1957 (यथा—संशोधित) के दण्ड प्रावधानों से अवगत हूँ जो जानबूझकर और क्रालेभन में झूठे और असत्य विवरणों को प्रस्तुत करने के विरुद्ध हैं												
suppr नाम :	ession and submi	ssion o	provisions of the Del f false and incorrect	parti	iculars.			ਗਿ Da	थि : ite :			attracted on v	
									स्ताक्षर :				
								Si	gnature :				

Note: — The Annual Value is subject to variation on implementation of the recommendation of the MVC- IV Taxpayer would be liable to pay difference in tax on the revised Annual Value on such implementation.

Education Cess :— An education cess @ 1% of the Annual value of vacant land and covered space of building or part thereof would be payable as per schedule of taxes 2020-21.

* यह एक जरूरी खण्ड/क्षेत्र है जिसे भरा जाना है तथा खाली छोड़ा नहीं जा सकता है। * This is a mandatory section/field which has to be filled and cannot be left blank.

[7(SDMC)]

छूट एवं रियायतें :

Rebates:

- (1) www.mcdpropertytax.in पर उपलब्ध कराए गए भुगतान गेटवे के माध्यम से ऑनलाईन सम्पत्ति कर रिटर्न भरने तथा सम्पत्ति कर का भुगतान करने वाले करदाताओं के लिए, धारा 114बी एवं 123बी(3) अथवा अन्यथा के अन्तर्गत सभी योग्य छूट (डिस्काउंट) के बाद देय कर का 2 प्रतिशत प्रोत्साहन के रूप में समझा जा सकता है बशर्ते कि अधिकतम कर 10,000 / रुपये से अधिक नहीं है।
- (1) Additional rebate of 2% of the tax payable after all eligible discounts U/s 114B and 123B(3) or otherwise as incentive for the taxpayers filing the property tax returns online and making property tax payments online through the payment gateway provided on <u>www.mcdpropertytax.in</u> subject to maximum tax not exceeding Rs. 10,000/-.
- (2) धारा 123बी(3) के तहत् समय पर भुगतान करने पर छूट :
- (2) Rebate U/s 123B(3) for timely payment of tax in lump sum :
 - (i) वित्त वर्ष के 30 जून तक उसी वित्त वर्ष के कर की राशि एक-मुश्त जमा करवाने पर 15 प्रतिशत की छूट दी जाएगी।
 - (i) A payment of the tax due in lump sum in one installment for the FY by 30th June of that FY shall entitle one to a rebate of 15% of the total tax amount due.
 - (ii) तिमाही किश्तों में किये गये भुगतानों पर कोई छूट नहीं दी जाएगी।
 - (ii) No rebates would be given on payment in quarterly installments.
 - (iii) प्रत्येक तिमाही जिसमें कर देय था, की तिथि के पश्चात् भुगतान करने पर 1 प्रतिशत प्रतिमाह अथवा माह के उस हिस्से की दर से साधारण ब्याज लिया जायेगा।
 - (iii) Late payment shall invite interest @ 1% per month or part of the month after the due date of each quarter in which the tax is due.
- (3) **फ्लैटों के लिए रियायत** :—100 वर्ग मीटर तक के आच्छादित क्षेत्र वाले डी.डी.ए. / सी.जी.एच.एस. के लिए वार्षिक मूल्य पर 10 प्रतिशत की छूट (यथा—अनुपात आधार पर)।
- (3) **Concession for flats**:—Rebate of 10% of the Annual Value presently applicable to the DDA/CGHS flats upto covered space of 100 sq. mtrs. (on pro-rata basis).
- (4) **धारा 114बी के अन्तर्गत छूट**:—200 वर्ग मीटर तक के आच्छादित क्षेत्र (यथा—अनुपात आधार पर) तक की एकल सम्पत्ति के लिए, जो रिहायशी प्रयोग हेतु स्वअधिभोग में है, और विरष्ठ नागरिक (60 वर्ष अथवा अधिक), महिला (उसके अपने हिस्से की सीमा तक) और शारीरिक रूप से विकलांग के स्वामित्व में है, के लिए 30 प्रतिशत छूट अनुमत होगी। इस धारा के अन्तर्गत केवल एक प्रकार की ही छूट मिलेगी चाहे कोई व्यक्ति एक से अधिक छूट की पात्रता रखता हो।
- (4) **Rebate U/s 114B :—**A rebate of 30% of tax due on the covered space of such building (on pro rata basis) shall be allowed upto the covered space of 200 sq. mtrs. to persons of eligible categories, i.e. senior citizens (60 years or more), women (irrespective of her age) or physically challenged persons (irrespective of age) singly or jointly owned by any of these categories and such rebate shall be only for one residential property in NCTD. However, only one rebate can be availed, even if a person is eligible for more than one rebate under this section.
- (5) को–ऑपरेटिव ग्रुप हाउसिंग सोसाइटीज की सम्पत्तियों के मामले में एकमुश्त भृगतान करने पर 20 प्रतिशत की छूट अनुमत होगी।
- (5) Additional rebate of 20% of the tax due on lump sum payment in cases of properties in Co-operative Group Housing Societies (CGHS).
- (6) दिल्ली नगर निगम द्वारा, अनुदान प्राप्त विद्यालयों के मामले में एकमुश्त भुगतान करने पर 90 प्रतिशत की अतिरिक्त छूट अनुमत होगी।
- (6) Additional rebate of 90% on lump sum payment in case of only MCD aided schools.
- (7) जो विभाग सेवा कर दे रहे हैं वो किसी भी प्रकार की छूट के हकदार नहीं होंगे।
- (7) The departments, which are paying Service Charge(s) will not be entitled for any rebate under any head.
- (8) भूतपूर्व सैनिक के स्वामित्व में 200 वर्ग मीटर तक के आच्छादित क्षेत्र (यथानुपात आधार पर) तक की एक रिहायशी सम्पत्ति के लिए टैक्स का 30 प्रतिशत छूट अनुमत होगी, बशर्ते कि यह एक्ट की धारा 114बी के आकृत नहीं होगी और इसका कोई हिस्सा किराए पर भी नहीं दिया हो।
- (7) A rebate of 30% of tax due on the covred space of such building (on prorata basis) shall be allowed upto the covered space of 200 Sqm. to Ex-Servicemen on one self occupied property provided not covered by Section 114B and no portion on rent.

* यह एक जरूरी खण्ड/क्षेत्र है जिसे भरा जाना है तथा खाली छोड़ा नहीं जा सकता है। * This is a mandatory section/field which has to be filled and cannot be left blank.

[8(SDMC)]